UPAZ010039702026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट) आजमगढ़।

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद सं०-1299/2026

दिलचैन बनाम बाबूराम आदि।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस०

थाना– दीदारगंज, जनपद–आजमगढ़।

निस्तारण प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस०

दिनांक–26.05.2026

1. आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के प्रकाश में विपक्षीगण के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कर विवेचना कराये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस० पर सुना पूर्व में सुना जा चुका है तथा पत्रावली का परिशीलन किया गया है।

3. संक्षेप में आवेदक का कथन है कि "प्रार्थी दिलचैन पुत्र स्व० लालमन निवासी ग्राम गुवाई, थाना दीदारगंज, तहसील फूलपुर, जनपद आजमगढ़ का निवासी है। उपजिलाधिकारी फूलपुर के आदेशोपरान्त दिनांक 09.06.2024 को राजस्व व पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा प्रार्थी की जमीन पर पत्थर नसब कराया गया था, जिस पर प्रार्थी द्वारा निर्माण कराये जाने पर विपक्षीगण बाबूराम व अर्जुन पुत्रगण जगन्नाथ निवासी ग्राम गुवाई, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़ द्वारा रोक दिया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर पुलिस व राजस्व की टीम ने चहरदीवारी निर्माण कर कब्जा करवा दिया, जिसका आंशिक भाग दिनांक 10–08–2024 की रात में विपक्षीगण द्वारा ध्वस्त कर दिया गया, जिसके सम्बंध में मु०अ०सं०–213/2024 अं०धारा 326 (ई) व 324 (4) भा०दं०वि. थाना दीदारगंज में पंजीकृत किया गया। प्रार्थी द्वारा ध्वस्त दीवाल का पुनः निर्माण करवाये जाने हेतु आई०जी०आर०एस० से प्रार्थना पत्र दिया गया, जिस पर क्षेत्राधिकारी फूलपुर द्वारा विस्तृत आख्या उपजिलाधिकारी फूलपुर को दिनांक 24–12–2024 को प्रेषित की गयी, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि राजस्व निरीक्षक व लेखपाल की संयुक्त टीम गठित कर निर्माण कार्य कराये जाने हेतु कोई तिथि नियत की जाये ताकि पर्याप्त पुलिस बल की ड्यूटी निर्माण/निस्तारण में किया जा सके। इस आख्या की सूचना क्षेत्रीय कानूनगो कृष्ण कुमार यादव पुत्र स्व० रामश्रृंगार यादव निवासी ग्राम कैराडीह, थाना खुटहन जनपद जौनपुर को प्राप्त होने के बाद कृष्ण कुमार यादव(कानूनगो) ने विपक्षीगण से व स्थानीय पुलिस से दुरभिसन्धि करके साजिश के तहत अपने दायित्वों के प्रति लापरवाही बरतते हुए मोटी रकम लेकर मौके पर जाकर दीवाल निर्माण कराये जाने के बजाय पूरी चहार दीवारी को ललकार कर विपक्षी द्वारा गिरवा दिया, जिसकी वीडियो रिकार्डिंग व अन्य साक्ष्य मौजूद हैं, उपरोक्त कृष्ण कुमार यादव (कानूनगो) ने पूर्व में प्रार्थी पर दबाव बनाकर प्रार्थी से 60,000/– रूपया कब्जा करवाने के लिये बतौर रिश्वत लिया था जिसकी कुछ पैसों के लेन देन की रिकार्डिंग भी उपलब्ध है। इस प्रकार अभियुक्त कृष्ण कुमार यादव ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए अपने दायित्वों के विरूद्ध कार्य किया और जब प्रार्थी से दिनांक 10–03–2026 को यह कहते हुए कि आप ने मुझसे साठ हजार रूपये लेकर गैर कानूनी रूप से विपक्षी की मदद की और प्रार्थी का निर्माण ढ़हवा दिया तो मेरा 60 हजार रूपया वापस कर दीजिए, इतना सुनते ही कानूनगो उपरोक्त कृष्ण कुमार यादव आग बबूला हो गया और धमकाते हुए कहा कि चमारिया साले तुम्हारी यह औकात की सरकारी कर्मचारी से पैसा वापस मांगोगे, अगर दुबारा दिखाई दिये तो जान से मरवा दूँगा। प्रार्थी इसकी सूचना मुकामी थाने पर दिया, कोई कार्यवाही नहीं हुई तब पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को जरिए रजि० सूचना दिया। विपक्षीगण का उपरोक्त कृत्य संज्ञेय अपराध की श्रेणी का है। प्रार्थी गरीब ब्यक्ति है स्वयं मुकदमा लड़ने में असमर्थ है। ऐसी दशा में प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज कर मामले की विवेचना होना न्यायहित में अत्यंत आवश्यक है।"

Digitally signed by VIJAY KUMAR VERMA
Date: 2026.05.26 19:10:21 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

4. आवेदक ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में स्वयं का शपथपत्र, पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को प्रेषित प्रार्थना पत्र मय रजिस्ट्री रशीद मूल, फोटोग्राफ्स एवं छायाप्रति आधारकार्ड दाखिल किया है।

5. प्रार्थना पत्र के प्रकाश में सम्बंधित थाने से आख्या आहूत की गयी। प्रार्थना पत्र पर क्षेत्राधिकारी फूलपुर द्वारा निम्न आख्या प्रस्तुत की गयी कि–"ग्राम गुवाई स्थित गाटा संख्या–335, 336 व 828 का सीमांकन नियमानुसार उ०प्र० राजस्व संहिता–2006 की धारा–21/24 मु०नं०–2943/2024 कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या: T202415060302843 लालमन आदि बनाम ग्राम सभा में न्यायालय उप जिलाधिकारी फूलपुर द्वारा पारित अन्तिम आदेश दिनांक 13–05–2024 के अनुपालन में पर्याप्त पुलिस बल एवं राजस्व टीम की उपस्थिति में दिनांक 02–08–2024 का उक्त गाटों पर दीवाल खड़ा कराकर अन्तिम रूप से कब्जा करा दिया गया था, जिस पर आवेदक द्वारा अपने मकान का निर्माण कार्य कराया जा रहा था, परन्तु आवेदक के मकान निर्माण के दौरान ही विपक्षी बाबूराम पुत्र जगनाथ द्वारा मा० आयुक्त महोदय के न्यायालय में उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.05.2024 के विरुद्ध वाद सं०–टी202415000001365 बाबूराम बनाम उप जिलाधिकारी फूलपुर आजमगढ़ योजित कर स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है जिसके अनुपालन में प्रार्थी के निर्माण कार्य रूकवा दिया गया। आवेदक चाहता है कि राजस्व विभाग सम्बन्धित कानूनगो किसी भी तरीके से उसके मकान निर्माण कार्य को पूर्ण करा दें, परन्तु सम्बन्धित कानूनगो द्वारा आयुक्त महोदय के न्यायालय में विचाराधीन वाद संख्या: टी202415000001365 में अन्तिम निर्णय के बाद ही मौके पर कोई कार्य न्यायसंगत संभव होने की बात बतायी जा रही है। इसी से क्षुब्ध होकर आवेदक द्वारा कानूनगो कृष्ण कुमार यादव के विरुद्ध आरोप लगाये जा रहे है। जाँच से आवेदक द्वारा कानूनगो कृष्ण कुमार यादव के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में कोई पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं पाया गया। जहाँ तक आवेदक द्वारा उपलब्ध कराये आडियो क्लीप जिसमें पैसा लेन देन की बात की स्वीकारोक्ति की गयी है, का प्रश्न है, के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आवेदक के पक्ष से किस व्यक्ति द्वारा अपने किस मो0 नं0 से आरोपी कानूनगो के किस मो०नं० पर वार्ता की गयी है, स्पष्ट नहीं किया गया है, रिकार्डिंग में आवेदक की आवाज नहीं है, जिसके कारण प्रथम दृष्टया उक्त आडियो क्लीप विश्वसनीय प्रतीत नहीं हो रहे है। आवेदक के आरोपों के सम्बन्ध में थाना दीदारगंज पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।"

6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में आवेदक द्वारा विपक्षीगण पर यह आरोप लगाया गया है कि विपक्षीगण द्वारा उसके जमीन पर कराये जा रहे निर्माण को रोक दिया गया, जिसके सम्बन्ध में उसके द्वारा उप जिलाधिकारी के यहां प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके क्रम में आदेश हुआ कि सम्बन्धित पुलिस व राजस्व की टीम को प्रार्थी की भूमि को कब्जा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। पुलिस व राजस्व की टीम ने प्रार्थी की चहारदीवारी निर्माण कर कब्जा करवा दिया, जिसका आंशिक भाग दिनांक 10–08–2024 की रात में विपक्षीगण द्वारा ध्वस्त कर दिया गया, जिसके सम्बंध में मु०अ०सं०–213/2024 अं०धारा 326 (ई) व 324 (4) भा०दं०वि. थाना दीदारगंज में पंजीकृत किया गया। उसके द्वारा ध्वस्त दीवाल का पुनः निर्माण करवाये जाने हेतु आई०जी०आर०एस० से प्रार्थना पत्र दिया गया जिस पर क्षेत्राधिकारी फूलपुर द्वारा विस्तृत आख्या उपजिलाधिकारी फूलपुर को दिनांक 24–12–2024 को प्रेषित की गयी, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि राजस्व निरीक्षक व लेखपाल की संयुक्त टीम गठित कर निर्माण कार्य कराये। जिसके बाद कृष्ण कुमार यादव(कानूनगो) ने विपक्षीगण से व स्थानीय पुलिस से दुरभिसन्धि करके साजिश के तहत अपने दायित्वों के प्रति लापरवाही बरतते हुए मोटी रकम लेकर मौके पर जाकर दीवाल निर्माण कराये जाने के बजाय पूरी चहार दीवारी को ललकार कर विपक्षी द्वारा गिरवा दिया जिसकी वीडियो रिकार्डिंग व अन्य साक्ष्य मौजूद हैं उपरोक्त कृष्ण कुमार यादव (कानूनगो) ने पूर्व में प्रार्थी पर दबाव बनाकर प्रार्थी से 60,000/– रूपया कब्जा करवाने के लिये बतौर रिश्वत लिया था। पैसा वापस माँगने पर उपरोक्त कृष्ण कुमार यादव (कानूनगो) आग बबूला हो गया और धमकाते हुए कहा कि चमारिया साले तुम्हारी यह औकात की सरकारी कर्मचारी से पैसा वापस मांगोगे अगर दुबारा दिखाई दिये तो जान से मरवा देंगे। जबकि थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार ग्राम गुवाई स्थित गाटा संख्या–335, 336 व 828 का सीमांकन नियमानुसार उ०प्र० राजस्व संहिता–2006 की धारा–

21/24 मु०नं०–2943/2024 कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या: T202415060302843 लालमन आदि बनाम ग्राम सभा में न्यायालय उप जिलाधिकारी फूलपुर द्वारा पारित अन्तिम आदेश दिनांक 13–05–2024 के अनुपालन में पर्याप्त पुलिस बल एवं राजस्व टीम की उपस्थिति में दिनांक 02–08–2024 का उक्त गाटों पर दीवाल खड़ा कराकर अन्तिम रूप से कब्जा करा दिया गया था, जिस पर आवेदक द्वारा अपने मकान का निर्माण कार्य कराया जा रहा था, परन्तु आवेदक के मकान निर्माण के दौरान ही विपक्षी बाबूराम पुत्र जगनाथ द्वारा मा० आयुक्त महोदय के न्यायालय में उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.05.2024 के विरुद्ध वाद सं०–टी202415000001365 बाबूराम बनाम उप जिलाधिकारी फूलपुर आजमगढ़ योजित कर स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है जिसके अनुपालन में प्रार्थी के निर्माण कार्य रूकवा दिया गया। आवेदक चाहता है कि राजस्व विभाग सम्बन्धित कानूनगो किसी भी तरीके से उसके मकान निर्माण कार्य को पूर्ण करा दें, परन्तु सम्बन्धित कानूनगो द्वारा आयुक्त महोदय के न्यायालय में विचाराधीन वाद संख्या: टी202415000001365 में अन्तिम निर्णय के बाद ही मौके पर कोई कार्य न्यायसंगत संभव होने की बात बतायी जा रही है। इसी से क्षुब्ध होकर आवेदक द्वारा कानूनगो कृष्ण कुमार यादव के विरुद्ध आरोप लगाये जा रहे है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में विपक्षीगण सं०–1 व 2 पर किसी प्रकार आवेदक को जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुये गाली–गाली या किसी प्रकार की संज्ञेय घटना कारित किये जाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया। जहां तक विपक्षी संख्या–3 कृष्ण कुमार यादव कानूनगो द्वारा पैसे लेकर काम न किये जाने की बात कहने पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुये गाली–गलौज दिये जाने का प्रश्न है तो थाने की आख्या से स्पष्ट है कि विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पर उप जिला मजिस्ट्रेट फूलपुर के आदेश से स्थगत प्राप्त है। आवेदक येन–केन–प्रकारेण मकान निर्माण कार्य को पूर्ण करना चाहता है। चूंकि उक्त जमीन पर स्थगन है, जिस कारण उक्त कानूनगो द्वारा निर्माण नहीं कराया जा सकता है। इस प्रकार विपक्षी सं०–3 द्वारा किया गया कृत्य पदीय दायित्वों के निर्वाहन में किया गया कृत्य है। पदीय दायित्वों के निर्वाहन में किये गये कार्य से धारा–218 बी०एन०एस०एस० में संरक्षण प्राप्त है। **चौधरी प्रवीन सुलताना बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और एक अन्य, (2009) 2 क्रि०लॉ ज० 1318 (एस०सी०)** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 197 दं०प्र०सं० (218 BNSS) में अन्तर्निहित उद्देश्य अधिकारियों को लोक सेवक को ऐसे आरोप से बचाने का अधिकार दिया जाता है जो उसे झूठे अभियोजन के जोखिम से और जो मात्र उसे परेशान करने के उद्देश्य से किए जा सकते है उससे बचा सकेगी। जहां तक आवेदक द्वारा विपक्षी संख्या–3 पर 60000/– रूपये लिये जाने का प्रश्न है तो इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि यह तथ्य एण्टी–करप्शन से सम्बंधित है, जिसके लिये अलग से उपचार उपलब्ध है।

7. इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि आवेदक एवं विपक्षीगण के मध्य विशुद्ध रूप से सिविल प्रकृति का विवाद है। उसी विवाद के कारण आवेदक द्वारा विपक्षीगण पर अनावश्यक दबाव बनाने हेतु यह प्रार्थना पत्र दिया जाना प्रतीत हो रहा है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था Hitesh Verma vs. State of Uttarakhand, (2020) 10 SCC 710, and Sohanvir @ Sohanvir Dhama vs. State of U.P., 2025 SCC Online SC 2730, wherein it has been held that when the dispute pertains to possession of property pending before a civil court, any dispute arising on account of said property dispute would not attract the provisions of the SC/ST Act unless the victim is intentionally abused, intimidated, or harassed solely on account of belonging to a Scheduled Caste or Scheduled Tribe.

The Hon'ble Supreme Court in Hitesh Verma vs. State of Uttarakhand, (supra), has categorically held in paragraphs 16 and 18 as follows:

"16. There is a dispute about the possession of the land which is the subject matter of civil dispute between the parties as per respondent No.2 herself.

Due to dispute, appellant and others were not permitting respondent No.2 to cultivate the land for the last six months. Since the matter is regarding possession of property pending before the Civil Court, any dispute arising on account of possession of the said property would not disclose an offence under the Act unless the victim is abused, intimated or harassed only for the reason that she belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe.

17.....

18. Therefore, offence under the Act is not established merely on the fact that the informant is a member of Scheduled Caste unless there is an intention to humiliate a member of Scheduled Caste or Scheduled Tribe for the reason that the victim belongs to such caste. In the present case, the parties are litigating over possession of the land. The allegation of hurling of abuses is against a person who claims title over the property. If such person happens to be a Scheduled Caste, the offence under Section 3(1)(r) of the Act is not made out."

8– The Hon'ble Apex Court in Sohanvir @ Sohanvir Dhama vs. State of U.P. (supra), while relying upon Hitesh Verma (supra), has reiterated that:

"It could thus be seen that, to be a place 'within public view', the place should be open where the members of the public can witness or hear the utterance made by the accused to the victim. If the alleged offence takes place within the four corners of the wall where members of the public are not present, then it cannot be said that it has taken place at a place within public view."

9– इस प्रकार आवेदक द्वारा सिविल प्रकृति के वाद को आपराधिक रंग देने के आशय से बढ़ा–चढ़ा कर प्रार्थना पत्र दिये जाने के तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त विशलेषण के आधार पर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों से कोई संज्ञेय प्रकृति के अपराध का होना गठित नहीं होता है। अतः प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों के दृष्टिगत विवेचना कराये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तदनुसार प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस० निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस० निरस्त किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

<u>दिनांक–26.05.2026</u>

(विजय कुमार वर्मा–I)
विशेष न्यायाधीश
(एस०सी० /एस०टी० एक्ट)
आजमगढ़।
J.O. Code–UP6503